कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(1)2016/कार्मिक/प्रमुवसं 681-87 दिनांक 1/12/2016

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/जोधपुर/ उदयपुर/कोटा

विषय : विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सुरक्षा दीवार के समुचित संधारण के सम्बन्ध में।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्रांक एफ.5( )2015–16/विकास/प्रमुवसं/7574 दिनांक 11.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया अवगत करावें कि संदर्भित पत्र आपको प्राप्त हो चुका हैं एवं आपने पत्र में प्रदत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर के निर्देशों के क्रम में अपने अधीनस्थ उप वन संरक्षकों को पालना हेतु निर्देश जारी कर दिये हैं।

वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्मित दीवारों के संधारण के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रीय/वनपाल/सहायक वनपाल/वनरक्षक के स्थानान्तरण पर कार्यभार लेन देन के समय चार्ज नोट में वन क्षेत्र में वन खण्डवार निर्मित दीवार की वर्तमान स्थिति, लम्बाई, नुकसान का विवरण आवश्यक रुप से अंकित किया जाना सुनिश्चित करावें। इसके अभाव में कार्य भार का लेन देन प्रमाणित नहीं माना जायेगा एवं संबंधित वन कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आवश्यक हो जायेगी। जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस आशय के निर्देश आप पुनः अपने अधीनस्थ उप वन संरक्षकगणों को जारी करें एवं सुनिश्चित करें कि उप वन संरक्षक द्वारा उक्त निर्देश उनके अधीनस्थ समस्त क्षेत्रीय/वनपाल/सहायक वनपाल/वनरक्षकों को प्रदान कर दिये गये है।

भवदीय,

28/11/16

(दीपक भटनागर)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2(1)2016/कार्मिक/प्रमुवसं 688-90 दिनांक 1/12/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति०प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. अति०प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास/कैम्पा राजस्थान, जयपुर।

(डी.पी.जागावत)
उप वन संरक्षक (अराज. प्रस्थापना)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान जयपुर

कार्यालय अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:– एफ1(13)कार्मिक/मुवजीप्र/2016–17/ 3287 दिनांक: 02-12-16

कार्यालय आदेश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) राजस्थान,जयपुर के पत्र क्रमांक: एफ5 ( ) 2015–16/विकास/प्र०मु०व०सं०/7574–80 दिनांक 11.11.2016 एव पत्र क्रमांक: एफ2 (1) 2016/कार्मिक/प्रमुवसं/688–90 दिनांक 1.12.2016 के द्वारा वन क्षेत्रों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सुरक्षा दीवार के संधारण की समुचित व्यवस्था के लिये प्रत्येक साइट के लिये साइट पर निर्मित दीवार का इन्द्राज कार्यभार हस्तान्तरण के समय क्षेत्रीय वन अधिकारी से वनरक्षक के स्तर तक चार्ज हस्तान्तरण रिपोर्ट मे अंकित करने हेतु निर्देशित किया है ।

अतः वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्मित दीवारों के संधारण के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देश दिये जाते है कि वनक्षेत्रों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में क्षेत्रीय वन अधिकारी/वनपाल/सहायक वनपाल/वनरक्षक के अधीन बनाई गई पक्की दीवार का विवरण एक रजिस्टर में संधारित किया जावे । जिसे सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण के समय सत्यापन (Verify) किया जावें । क्षेत्रीय वन अधिकारी/वनपाल/ सहायक वनपाल/ वनरक्षक के स्थानान्तरण पर कार्यभार लेने देन के समय चार्ज नोट एवं पजिंका में वन क्षेत्र में वन खण्डवार निर्मित दीवार की वर्तमान स्थिति, लम्बाई नुकसान का विवरण आवश्यक रूप से दर्ज/अंकित किया जायें । इसके अभाव में कार्यभार का लेन देन प्रमाणित नही माना जायेगा एवं सम्बन्धित वन कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी । उक्त पजिंका एक माह के भीतर तैयार करवाकर उसकी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगें ।

(जी.वी.रेड्डी)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान, जयपुर।

APCCF (Adm)
I/C directs all and put up 'u' on website also
5/12/16

क्रमांक:– एफ1(13)कार्मिक/मुवजीप्र/2016–17/ दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) राजस्थान, जयपुर ।
2. मुख्य वन संरक्षक,वन्यजीव,जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/जयपुर ।
3. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,सरिस्का बाघ परियोजना,अलवर ।
4. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,रणथम्भौर बाघ परियोजना,सवाईमाधोपुर ।
5. उप वन संरक्षक,वन्यजीव,जयपुर/उदयपुर/कोटा/जोधपुर/आबूपर्वत/भरतपुर/बीकानेर/जैसलमेर/चितोडगढ़/राजसमन्द ।
6. उप वन संरक्षक,मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा ।
7. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य,सवाईमाधोपुर ।
8. उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक, (प्रथम) रणथम्भौर बाघ परियोजना,सवाईमाधोपुर।
9. उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक, (दितीय) रणथम्भौर बाघ परियोजना,करौली।
10. उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक,सरिस्का बाघ परियोजना,सरिस्का ।
11. उप वन संरक्षक,वन्यजीव,चिडियाघर,जयपुर ।

Publish on website
5/12/16

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान,जयपुर।